...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गोपीदेवी बनाम भॅवरलाल** **122 / 10 (आरसीएमएस नं. 2010 / 00011)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उभयपक्षों में आपसी समझाईस से राजीनामा हो चुका है ऐसी स्थिति में अब यह हस्तगत अपील इन्फेक्च्यूअस हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है तथा अपीलान्ट स्वयं ही हस्तगत अपील को विड्रो कर खारिज कराना चाहता है तो फिर ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	